

न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:— 299 / 2019

**प्रार्थी:**— सगतसिंह गोदपुत्र पुनीकंवर पत्नी श्री लूणसिंह, जाति रावणा राजपूत निवासी रेवतसिंहनगर भाखरी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

**बनाम**

**अप्रार्थी:**— श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित—

**प्रार्थी की ओर से** :— अधिवक्ता श्री धन्नाराम बिश्नोई।

**अप्रार्थी की ओर से** :— सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

—:निर्णय:—

**दिनांक:—24.02.2020**

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:— प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रेवतसिंहनगर पटवार हल्का भेड़, तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 379 रकबा 66 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 380 रकबा 61 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 381 रकबा 08 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी कुल खसरा 3 कुल रकबा 128 बीघा 03 बिस्वा भूमि आई हुई है। प्रार्थी को पुनीकंवर पत्नी श्री लूणसिंह द्वारा संवत् 2037 में गोद लिया गया जिसका दिनांक 28.04.1986 को गोदनामा उप पंजीयक कार्यालय ओसियां में पंजीबद्ध करवाया गया। उस समय राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त सगतसिंह गोदपुत्र पुनीकंवर के स्थान पर सगतसिंह पि. मोडसिंह गोद पुनकी दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तविक पिता मोडसिंह के स्थान पर गोदपिता लूणसिंह का नाम दर्ज करना था। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में नाम सगतसिंह पिता लूणसिंह दर्ज है तथा उक्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में जाति दरोगा दर्ज है जिसके स्थान पर समान्तर जाति रावणा राजपूत दर्ज होनी चाहिए। राजस्व रेकॉर्ड में नाम त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बावत् तमाम कार्य रूके हुए पड़े हैं। मौके पर भी उक्त भूमि में प्रार्थी कब्जा व काश्त चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि ग्राम रेवतसिंहनगर पटवार क्षेत्र भेड़ के खसरा

  
न्यायक अधिकारी, ओसियां


नम्बर 379 रकबा 66 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 380 रकबा 61 बीघा 05 बिस्वा व खसरा नम्बर 381 रकबा 8 बिस्वा गै.मु. ढाणी कुल खसरा 3 कुल रकबा 128 बीघा 03 बिस्वा, के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सगतसिंह पि. मोडसिंह गोद पुनकी जाति दरोगा दर्ज है जिसके स्थान पर सम्मानजनक नाम सगतसिंह गोदपुत्र पूनीकंवर पत्नी लूणसिंह जाति रावणा राजपूत दर्ज किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया जिसमें भी प्रार्थी सगतसिंह पुनकी उर्फ पुनीकंवर पत्नी श्री लूणा उर्फ लूणसिंह के गोद गये हुए है प्रार्थी के अन्य पहचान दस्तावेज में भी सगतसिंह पि. लूणसिंह के नाम से है मौके पर प्रार्थी सगतसिंह गोदपुत्र लूणसिंह का ही कब्जा काश्त है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम सगतसिंह पुत्र मोडसिंह गोदपुत्र पुनकी जाति दरोगा के स्थान सगतसिंह गोदपुत्र लूणसिंह जाति रावणा राजपूत दर्ज किया जाना उचित है।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रेवतसिंहनगर पटवार हल्का भेड़, तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 379 रकबा 66 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 380 रकबा 61 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 381 रकबा 8 बिस्वा गै.मु. ढाणी, के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सगतसिंह पुत्र मोडसिंह गोदपुत्र पुनकी जाति दरोगा के स्थान सगतसिंह गोदपुत्र लूणसिंह जाति रावणा राजपूत दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। न्याय हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हाकर दाखिल दफ़तर हो।



सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 24.02.2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां